# दिल्ली विधान सभा

## समाचार भाग-1

## {कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख}

सोमवार, 5 अप्रैल, 1999/चैत्र 15, 1921 {शक}

**संख्या-13**

**अप. 2.00 बजे**

### तारांकित प्रश्न

1. तारांकित प्रश्न सं. 141 से 145 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये ।

तारांकित प्र.सं. 146 से 160 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

### अतारांकित प्रश्न

2. अतारांकित प्रश्न संख्या 267 से 303 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

**अप. 3.00 बजे**

### अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

3. माननीय अध्यक्ष ने संकल्पों/प्रस्तावों की ग्राह्यता के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि कुछ माननीय सदस्य अचानक सदन में अलग-अलग विषयों पर संकल्प अथवा प्रस्ताव पेश कर देते हैं । मुझे एडवांस में न तो नोटिस दिया जाता है और न ही यह बताया जाता है कि वो संकल्प/प्रस्ताव किस बारे में है। कुछ मामलों में मैंने ऐसे संकल्पों/प्रस्तावों को सदन के सामने रखकर सदन की मंजूरी लेने की इजाजत दी है । ऐसा मैंने इसलिये किया, क्योंकि पिछली विधान सभा में इस तरह की परिपाटी और संस्कृति बन गई थी ।

लेकिन मैंने अब संकल्पों/प्रस्तावों से ताल्लुक रखने वाले नियमों को कई बार पढ़ा है । माननीय सदस्य चाहें तो वे भी एक बार फिर पढ़ लें :-

।§ अगर गैर सरकारी सदस्य को कोई संकल्प पेश करना है तो उसके लिये उसको कम से कम 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है ।

।।§ अगर सरकार को कोई संकल्प देना है तो संबंधित मंत्री को 7 दिन का नोटिस देना जरूरी है ।

अध्यक्ष अगर चाहें तो सूचना की अवधि को कम कर सकते हैं।

1· सदन में अचानक और बिना सूचना दिये संकल्प लाने की वजह से सभी सदस्यों को यह मालूम ही नहीं होता है कि संकल्प किस बारे में है।

2· कभी-कभी मेरे सचिवालय और हाउस की कार्यवाही को कवर करने वाले प्रेस और मीडिया के लोगों को भी इसके विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है ।

3· जब संकल्प अचानक सदन में पेश किया जाता है तो माननीय सदस्यों को उसमें संशोधन देने का अपना कानूनी अधिकार इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता ।

4· कई बार अत्यन्त लोक महत्व के संकल्प पर सदन में कायदे से चर्चा भी नहीं हो पाती ।

स्वस्थ संसदीय परम्पराओं को मद्देनजर रखते हुए मैं माननीय सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि वे बगैर नोटिस के कोई संकल्प/प्रस्ताव अचानक पेश न करें । जब तक मुझे पूर्व सूचना और उसका विषय नहीं भिजवाया जाता,तो मेरे लिये इसे प्रस्तुत करने की इजाजत देना मुमकिन नहीं होगा ।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मामले में मुझे पूरा सहयोग देंगे ।

**अप·3·04 बजे**

**सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये पत्र**

4· श्री योगानन्द शास्त्री, विकास एवं खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री ने निम्नलिखित पत्रों की प्रति सदन पटल पर रखीं :-

1. कृषि उपज विपणन समिति, शाहदरा, दिल्ली के प्रशासक के त्यागपत्र स्वीकृत करने के संबंध में दिनांक 6.11.98 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन(विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं0 फा. 4/47/82-कृ. वि. नि./एम.आर./खंड-111/6048 की प्रति ।

2. मछली, मुर्गी तथा अण्डा समिति, जामा मस्जिद/गाजीपुर, दिल्ली के प्रशासक के त्यागपत्र स्वीकृत करने के संबंध में दिनांक 6.11.98 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन(विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं0 फा. 4/47/82-कृ. वि. नि./एम.आर./खंड-111/6063 की प्रति ।

3. कृषि उपज विपणन समिति, नजफगढ़ रा, दिल्ली के प्रशासक के त्यागपत्र स्वीकृत करने के संबंध में दिनांक 10.11.98 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन(विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं0 फा. 4/47/82-कृ. वि. नि./एम.आर./खंड-111/6111 की प्रति ।

4. कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली के प्रशासक के त्यागपत्र स्वीकृत करने के संबंध में दिनांक 13.11.98 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन(विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं0 फा. 4/47/82-कृ. वि. नि./एम.आर./खंड-111/6191 की प्रति ।

5. कृषि उत्पाद विपणन समिति, आजादपुर, दिल्ली की उपविधियों में संशोधन के संबंध में दिनांक 23.12.98 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन(विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 65 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं0 फा. 8(19)/98-कृ. वि. नि./एम.आर./6828 की प्रति ।

6. दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में दिनांक 8.3.99 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन(विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं0 फा. 1(7)/81-कृ. वि. नि./एम.आर./968 की प्रति ।

7. मछली, मुर्गी तथा अण्डा समिति, जामा मस्जिद/गाजीपुर के प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 15.3.99 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० फा.4/47/82-कृ.वि.नि./एम.आर./खंड-3/1071 की प्रति ।

8. कृषि उत्पाद विपणन समिति, नजीरा के प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 15.3.99 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या फा.4/47/82-कृ.वि.नि./एम.आर./खंड-3/1089 की प्रति ।

9. कृषि उत्पाद विपणन समिति, नजफगढ़ के प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 15.3.99 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या फा. 4/47/82-कृ.वि.नि./एम.आर./खंड-3/1107 की प्रति ।

10. कृषि उत्पाद विपणन समिति, शाहदरा के प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 15.3.99 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या फा. 4/47/82-कृ.वि.नि./एम.आर./खंड-3/1125 की प्रति ।

11. कृषि उत्पाद विपणन समिति, नरेला के प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 15.3.99 को दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या फा. 4/47/82-कृ.वि.नि./एम.आर./खंड-3/1143 की प्रति ।

**अप·3·05 बजे**

**मंत्री द्वारा वक्तव्य**

5· श्रीमती कृष्णा तीरथ,समाज कल्याण एवं श्रम मंत्री ने कुशल,अर्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की 1·2·1999 से प्रभावी दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए एक वक्तव्य दिया ।

**अप·3·10 बजे**

**विशेष उल्लेख**

6· निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत मामले उठाये :-

1· श्री नन्द किशोर गर्ग
(मुख्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया)

2· श्रीमती किरण वालिया

3· श्री नसीब सिंह

4· श्री सुशील चौधरी

5· श्री वीर सिंह

6· श्री साहब सिंह चौहान

7· श्री राम सिंह नेताजी

8· श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

9· श्री मोहन सिंह बिष्ट

10· श्री शादी राम

**अप·4·12 बजे**

**उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव**

8· श्री दीप चन्द बन्धु द्वारा प्रस्ताव निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई:-
"कि यह सदन उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मार्च,1999 को विधान सभा में दिये गये अभिभाषण के लिये उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है ।"

निम्नलिखित सदस्य ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री मंगत राम सिंघल

अप॰4॰32 बजे

**प्रस्ताव**

9॰ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

"कि खालसा पंथ की 300वीं जयन्ती के अवसर पर पटना साहिब से आनन्द पुर साहिब तक ले जायी जा रही **पवित्र ज्योति**, जो 6॰4॰99 को पुराना सचिवालय में लाई जायेगी, के सम्मान में 6 अप्रैल, 1999 को निर्धारित कार्य को स्थगित कर दिया जाये एवं विधान सभा समवेत् न हो ।"

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ ।

**4॰35 बजे**

**धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी॰॰॰**

2॰ श्री नन्द किशोर गर्ग

3॰ श्री राधेश्याम खन्ना

4॰ श्री महाबल मिश्रा

5॰ श्री साहब सिंह चौहान

6॰ श्री शादी राम

7॰ श्री अरविन्दर सिंह लवली

**अप॰6॰00 बजे**

**(सदन बुधवार, 7 अप्रैल, 1999 को अपराह्न 2॰00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ ।)**

**दिल्ली,**
**5 अप्रैल, 1999**

**एस॰के॰शर्मा**
**सचिव**

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETN PART-I

(Brief record of proceedings)

Monday, April 5, 1999/Chaitra 15, 1921 (SAKA)

NO. 13

2.00 PM — Starred Questions

1. Starred Question Nos. 141 to 145 and supplementaries thereto were orally asked and answered.

Replies to Starred Question Nos. 146 to 160 were laid on the Table of the House.

Unstarred Questons

2. Replies to unstarred Question Nos, 267 to 303 were laid on the Table of the House.

3.00 P.M.

3. Ruling of Chair

Hon'ble Speaker gave the following ruling regarding admissibility and moving of Resolutions/Motions:

In the last few days, I have observed that there is a growing tendeny on the part of some members to sudenly bring forward Resolutions/Motions in the House on various issues without suppplying me, in advance, even the texts thereof, what to speak of a notice. I have, in a few cases, allowed them to be placed before the House for permissiion. This I did because in the previous Vidhan Sabha this had become the culture and practie.

I have now read and re-read the rules relating to admissibility of Resolutions. I find that there had been a general circumventiion of this provision in the past. The rules say - and Hon'ble Members may read them again - that:

i) if a Private Member wants to move a Resolution, he is required to give 15 days of advance notice; and

ii) if the Government wants to move a Resolution, the Minister is required to give 7 days advance notice.

The Speaker, however, has the power to relax the period of notice.

Bringing Resolutions sudenly and without notie in the House has the following adverse effects:

i) Not all the Members are in a postion to know as to what the Resoluton is all about.

ii) At times even my Seretariat and the press and mediia covering the proceedings are unaware of its text.

iii) Since Resolutions are brought sudenly and instantly, the Members are deprived of their legitimate right to giive amendments, if they so desire.

iv) Even proper diiscussion does not take plae on the Resolutions whch may be of general publc importance.

In the interest of healthy Parliamentary traditions Hon'ble Members are requested not to move Resolutions/Motions sudenly and instantly. Unless sufficient advance written notice (alongwith the text of the same) is supplied to me for circulation amongst the Members, it may not be possible for me to grant permission for moving of such Resolutions/Motions.

I hope you will extend your cooperaton in this regard.

3.04 P.M. **Paper laid**

4. Shri Yoganand Shastri, Minister of Development and Food & Supplies laid on the Table of the House the following papers:-

i) Copy of the Notfication No. F.4(47)/82-DAM/MR/Vol.III/6048 dated 6.11.98

issued under Sub-Secton (1) of Setion 19 of the Delhi Agricultural Produce Marketiing (Regulaton) Act, 1976 regarding acceptance of resignation of the Administrator of Agricultural Produce Market Committee, Shahdara.

ii) Copy of the Notification No. F.4(47)/82-DAM/MR/Vol.III/6063 dated 6.11.98 issue under Sub-section (1) of Section 19 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulaton) Act, 1976 regarding acceptance of resignation of the Administrator of Fish, Poultry & Egg Market Committee, Jama Masjid/Gazipur.

iii) Copy of the Notificatiion No. F.4(47)/82-DAM/MR/Vol. III/6111 dated 10.11.98 issued under Sub-section (1) of Section 19 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulatiion) Act, 1976 regarding acceptance of resignation of the Administrator of Agricultural Produce Market Committee, Zakhira.

iv) Copy of the Notification No. F.4(47)/82-DAM/MR/Vol. III/6191 dated 13.11.98 issued under sub-section (1) of Section 19 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulaton) Act, 1976 regarding acceptance of resignaton of the Administrator of Agricultural Produce Market Committee, Narela.

v) Copy of the Notification No. F.8(19)/98-DAM/MR/6828 dated 23.12.98 issued under Sub-section (1) of Section 65 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1976 regarding amendment of Bye-laws of Agricultural Produce Market Committee, Azadpur.

vi) Copy of the Notification No. F.1/7/81-DAM/MR/968 dated 8.3.99 issued under sub-section (1) of Section 5 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1976 regarding nomination of Chairman of the Delhi Agricultural Marketing Board.

vii) Copy of the Notification No. F.4(47)/82-DAM/MR/Vol. III/1071 dated 15.3.99 issued under clause (c) of sub-section (2) of Section 48 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1976 regarding appointment of Administrator of the Fish, poultry & Egg Market Committee, Jama Masjid/Gazipur.

viii) Copy of the Notification No. F.4(47)/82-DAM/MR/Vol. III/1089 dated 15.3.99 issued under clause (c) of sub-section (2) of Section 48 of the Delhi Agrcultural Produe Marketing (Regulation) Act, 1976 regarding appointment of Administrator of the Agricultural Agricultural Produce Market Committee, Zakhira.

ix) Copy of the Notification sNo. F.4(47)/82-DAM/MR/Vol. III/1107 dated 15.3.99 issued under clause (c) of sub-section (2) of Section 48 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1976 regarding appointment of Administrator of the Agricultural Produce Committee, Najafgarh.

x) Copy of the Notification No. F.4(47)/82-DAM/MR/Vol. III/1125 dated 15.3.99 issued under clause (c) of sub-Section (2) of Section 48 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1976 regarding appointment of Admnistrator of the Agriicultural Produce Market Committee, Shahdara.

xi) Copy of the Notification No. F.4(17)/82-DAM/MR/Vol. III/1143 dated 15.3.99 issued under clause (c) of sub-section (2) of Section 48 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1976 regarding appointment of Administrator of the Agricultural Produce Market Committee, Narela.

3.05 P.M.

STATEMENT BY MINISTER

5. Smt. Krishna Tirath, Minister of Social Welfare made a statement announcing enhancement in the minmum wages of skilled, semi-skilled and unskilled workers, made effective from Ist February'99.

3.10 PM

Special Mentions

Following members raised matters under Rule 287:-

1. Sh. Nand Kishore Garg
   (Chief Minister intervened in the matter)
2. Smt. Kiran Walia
3. Sh. Naseeb Singh
4. Sh. Sushil Chaudhry
5. Shri Veer Singh
6. Sh. Saheb Singh Chauhan
7. Sh. Ram, Singh Netaji
8. Sh. Tarvinder Singh Marwah
9. Sh., Mohan Singh Bisht.
10. Sh. Shadi Ram

**4.12 P.M.**

**Motion of Thanks on Lt. Governor's Address**

7. Further discussion on the following motion moved by Shri Deep Chand Bandhu:-

"That this House expresses its heartfelt thanks to the Hon'ble Lt. Governor for the Address which he has been pleased to deliver to Legislative Assembly on the 22nd March, 1999".

Following members took part in debate:-

1. Sh. Mangat Ram Singhal.

**4.32 P.M.**

**Motion**

8. With the permssion of the Chair, Chief Minister moved the following motion:-

"That the Business scheduled for 6 April, 1999 be postponed and that the Assembly does not assemble as a mark of respect to the 'Sacred Jyot' which is being brought to the Old Secretariat on 6.4.99 from Patna Sahib enroute to Annandpur Sahib to commemorate 300 years of formation of Khalsa Panth".

Motion was put to vote and adopted unanimously.

**4.35 P.M.**

**Discussion on Motion of Thanks continued:-**

2. Sh. Nand Kishore Garg.
3. Sh. Radhey Shyam Khanna
4. Sh. Mahabal Mishra
5. Sh. Saheb Singh Chauhan
6. Sh. Shadi Ram
7. Sh. Arvinder Singh Lovely

6.00 P.M. (The House was adjourned till 14.00 Hours on Wednesday, April 7, 1999)

S.K. SHARMA
SECRETARY

Delhi

April 5, 1999